न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्या:— 28 / 2022 — दर्ज दिनांक 01.07.2022
जी सी एम एस न0 2022 / 614 — निर्णय दिनांक:— 01.02.2023

1. बलराज सिंह पुत्र गणेशाराम
2. भगवानी पत्नी स्व. गणेशाराम
3. देवकरण पुत्र श्योमहालराम
4. हरलालसिंह पुत्र श्योमहालराम
5. कमला देवी पुत्री श्योमहालराम
6. हरिराम पुत्र श्योमहालराम
7. जगदीश प्रसाद पुत्र गणेशाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी नितड़ा की तन ग्राम भोड़की ढाणी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र गणेशाराम
2. छोटूराम पुत्र श्योमहालराम

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी नितड़ा की तन भोड़की ढाणी तहसील गुढ़ागौड़जी

3. तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 128 भू राजस्व अधिनियम बाबत् पत्थरगढी

निर्णय

निर्णय दिनांक:— 01.02.2023

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम गोदारों का बास की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न. 1103, 1159, 3510 / 1095 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0600 है0 अवस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का भूमि खसरा न. 1159 रकबा 0.6400 है0 बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है, उक्त खसरा न. दिनांक 24.06.2022 को सीमाज्ञान पटवारी हल्का भोड़की ने मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया तथा फर्द सीमाज्ञान तैयार किया था तथा सीमा से अवगत करवाया। प्रार्थीगण अपनी भूमि की फर्द सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 के अनुसार ग्राम गोदारा का बास पटवार हल्का भोड़की की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदार भूमि में खसरा न. 1159 रकबा 0.64 है0 का मौके पर पत्थरगढ़ी के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर तलवी वास्ते जबाबदेही दी गई।

अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका में जवाब में बताया कि अंकित भूमि खसरा न. 1159 की खातेदारी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2075—78 के अनुसार कमला देवी वगै. 1 लगायत 9 [illegible] दर्ज है, जबकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण बलराज वगै. 1 लगायत 7 है। [illegible] खसरा न. 1159 के समस्त खातेदारों की ओर से पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खातेदारों को अप्रार्थी [illegible] बनाया गया है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना को आदेशिका पर स्वीकार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्राथना पत्र श्रवण की गइ। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा न. 1159 रकबा 0.6400 है0 में दिनांक 24.06.2022 को सीमाज्ञान पटवारी हल्का भोड़की ने मौके पर जाकर सीमज्ञान किया तथा फर्द सीमाज्ञान तैयार किया था। फर्द सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में खसरा न. 1159 रकबा 0.64 है0 का मौके पर पत्थरगढ़ी के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने बहस में जबाब मे अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि पक्षकारो के अभाव खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम गोदारों का बास पटवार हल्का भोड़की की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदरी भूमि खसरा न. 1159 रकबा 0.64 है0 भूमि अवस्थित है। जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगडढी करवाने के अधिकारी है। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडढी स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता हैं कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 के अनुसार ग्रम गोदारा का बास पटवार हल्का भोड़की की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में खसरा न. 1159 रकबा 0.64 है0 में पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

01/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:49 IST
Reason: SelfAttested